1460
08-9-15

संख्या–1491/15-11-2014

प्रेषक,

एस०एल० गुप्ता,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ०प्र०, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ :

विषय– बी०टी०सी० तथा एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

बी०टी०सी० तथा एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क का निर्धारण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 18.06.2002 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या–851/15–11–2010 दिनांक 19.05.2010 द्वारा किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की उक्त अधिसूचना दिनांक 18.06.2002 एन०सी०टी०ई० की अधिसूचना National Council of Teacher Education (Guidelines for regulation of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institution) Amendment Regulations No. F.No.51-3/2009/PC/NCTE(N&S) Dt. 25.08.2010 द्वारा संशोधित कर दी गयी।

निजी संस्थानों में संचालित बी०टी०सी० पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क निर्धारण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या–6302(एम०बी०)/2013 उ०प्र० प्राईवेट कॉलेज एसोसिएशन बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21.01.2014, 17.02.2014, 04.04.2014 एवं 13.06.2014 के समादर में तथा एन०सी०टी०ई० की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 के प्रस्तर–5 में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में शासनादेश संख्या–1044/15–11–2014 दिनांक 14.07.2014 द्वारा बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क निर्धारण हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 14.07.2014 द्वारा शुल्क निर्धारण हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 01.08.2014, 19.08.2014 एवं 29.08.2014 को आयोजित की गयी। समिति द्वारा लिये गये निर्णयों तथा प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है–

(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता के उपरान्त राज्य सरकार से बी०टी०सी०/एन०टी०टी० पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्राप्त निजी संस्थानों द्वारा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुरूप पाठ्यक्रम का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों तथा समय–समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना में दी गयी व्यवस्थानुसार निजी संस्थानों द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार निर्धारित अर्हतायुक्त शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ को निर्धारित मानकों एवं प्रक्रिया के अनुसार सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी की पूर्वानुमति से सेवायोजित किया जाएगा तथा नियुक्ति में नियमानुसार आरक्षण लागू होगा।

(3) संबद्धता प्राप्त बी०टी०सी० तथा एन०टी०टी० संस्थानों में संकाय सदस्यों के वेतनमान निम्नवत होंगे–

संबद्धता प्राप्त निजी बी0टी0सी0 संस्थानों में वेतन आगणन (रु0 में)									
क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनबैण्ड	पे बैण्ड	ग्रेड पे	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ता (आवास+न0प्र0भ0+चि0भ0 का 20 प्रतिशत)	स्वीकृत पद के प्रति एक माह का वेतन (रु0 में)	बारह माह का वेतन (रु0 में) (कालम-9 का 12 गुना)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्राचार्य/विभागाध्यक्ष	1	15600-39100	15600	5400	21000	4200	46200	554400
2	प्रवक्ता	6	9300- 34800	9300	4800	14100	2820	186120	2233440
3	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	5200- 20200	5200	2800	8000	1600	17600	211200
4	मु0लि0सी0	1	5200- 20200	5200	2800	8000	1600	17600	211200
5	कम्प्यूटर आपरेटर/ स्टोर कीपर	1	5200- 20200	5200	1900	7100	1420	15620	187440
			कुल योग	40500	17700	58200	11640	283140	3397680

संबद्धता प्राप्त निजी एन0टी0टी0 संस्थानों में वेतन आगणन (रु0 में)									
क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद	वेतनबैण्ड	पे बैण्ड	ग्रेड पे	महंगाई भत्ता	अन्य भत्ता (आवास+न0प्र0भ0+चि0भ0 का 20 प्रतिशत)	स्वीकृत पद के प्रति एक माह का वेतन (रु0 में)	बारह माह का वेतन (रु0 में) (कालम-9 का 12 गुना)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	प्राचार्य/ विभागाध्यक्ष	1	15600-39100	15600	5400	21000	4200	46200	554400
2	प्रवक्ता	4	9300- 34800	9300	4800	14100	2820	124080	1488960
3	प्रवक्ता स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा	1	9300-34800	9300	4600	13900	2780	30580	366960
4	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	5200- 20200	5200	2800	8000	1600	17600	211200
5	मु0लि0सी0	1	5200- 20200	5200	2800	8000	1600	17600	211200
6	कम्प्यूटर ऑपरेटर/स्टोर कीपर	1	5200- 20200	5200	1900	7100	1420	15620	187440
			कुल योग	49800	22300	72100	14420	251680	3020160

(4) निजी संस्थानों में चतुर्थ श्रेणी का कोई पद प्राविधानित न होते हुए भी संस्थानों द्वारा अपने वित्तीय स्रोतों के अधीन अधिकतम 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मी दैनिक वेतन/ संविदा के आधार पर तैनात किए जा सकेंगें।

(5) संस्थानों द्वारा विकास शुल्क की मद से प्राप्त धनराशि का उपयोग निम्नांकित मदों पर किया जा सकेगा-

क्र0सं0	मद	वार्षिक व्यय (रु0)
1	बिजली	169884
2	टेलीफोन/ ब्राडबैण्ड	67954
3	विविध व्यय (स्टेशनरी/ पोस्ट/ यात्रा/ जनरेटर / बागवानी/ पुस्तकालय/ साज-सज्जा/ फर्नीचर/ अनुरक्षण/ लघुनिर्माण/ भवन एवं उपकरण अनुरक्षण/ प्रयोगशाला/ कर/ मुद्रण व अन्य आकस्मिक व्यय)	339768
4	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ पेरिफरल्स/ सॉफ्टवेयर	101930
	कुल व्यय	679536

(6) एन0सी0टी0ई0 के नोटिफिकेशन दिनांक 25.08.2010 के प्रस्तर 4 3(i) में उल्लिखित व्यवस्था *All the seats in each recognized institution shall be free seats and their fee structure shall be as determined by the competent authority* के आलोक में फ्री एवं पेड सीट के स्थान पर केवल फ्री सीट की सिंगल फी स्ट्रक्चर लागू किया जायेगा।

(7) एन0सी0टी0ई0 की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 के प्रस्तर 4(5)(i) में दी गयी व्यवस्था के अनुक्रम में मैनेजमेंट हेतु कोई भी कोटा देय नहीं होगा।

(8) बी0टी0सी0 एवं एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु समान शुल्क निर्धारित किया जाता है।

(9) बी0टी0सी0 एवं एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्राप्त संस्थानों में शुल्क निम्नवत निर्धारित किया जाता है—

(क) बी0टी0सी0 हेतु वेतन मद में आगणित कुल व्यय	= रू0 3397680 (रू0—तैंतीस लाख सत्तानबे हजार छः सौ अस्सी मात्र)
(ख) वेतन मद के अतिरिक्त अन्य मदों / विकास शुल्क के अन्तर्गत व्यय हेतु कुल राशि	= रू0 679536 (रू0—छः लाख उन्नासी हजार पांच सौ छत्तीस)
(ग) बी0टी0सी0 एवं एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु कुल व्यय	= वेतन मद में आगणित कुल व्यय+एन0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमन्य अन्य मदों में आगणित व्यय
	रू03397680+679536=4077216(रू0—चालीस लाख सतहत्तर हजार दो सौ सोलह मात्र)
प्रतिवर्ष 100 छात्रों हेतु कुल व्यय	= रू0 4077216 (रू0—चालीस लाख सतहत्तर हजार दो सौ सोलह मात्र)
प्रति छात्र प्रतिवर्ष व्यय	रू0 40772 (रू0—चालीस हजार सात सौ बहत्तर मात्र)
बी0टी0सी0 एवं एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु प्रति छात्र प्रति वर्ष व्यय	रू0 40772 (रू0—चालीस हजार सात सौ बहत्तर रू0 मात्र)

(10) उपरोक्तानुसार राज्य सरकार द्वारा बी0टी0सी0 एवं एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु संबद्धता प्राप्त निजी संस्थानों में प्रतिवर्ष प्रति छात्र रू0 41,000 (रू0—इकतालीस हजार मात्र) शुल्क निर्धारित किया जाता है। उपरोक्तवत निर्धारित शुल्क राज्य सरकार से संबद्धता प्राप्त बी0टी0सी0 एवं एन0टी0टी0 निजी संस्थानों में लागू होगा।

(11) एन0सी0टी0ई0 की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 के प्रस्तर 9 Other procedural matters connected with levy of fees के बिन्दु संख्या—1 (ii) दी गयी व्यवस्था निम्नवत है—

The fees when revised shall be applicable only to new entrants.

एन0सी0टी0ई0 की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 की उपर्युक्त वर्णित व्यवस्था के क्रम में बी0टी0सी0 एवं एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम हेतु उपरोक्त निर्धारित फीस रू0 41,000 प्रतिवर्ष प्रतिछात्र (रू0—इकतालीस हजार मात्र) शैक्षिक सत्र 2014—15 एवं आगामी शैक्षिक सत्रों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार बी0टी0सी0 एवं एन0टी0टी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों पर लागू किया जायेगा।

(12) निजी संस्थानों द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस लाभार्जन अथवा व्यवसायीकरण हेतु प्रयोग में नहीं लाई जाएगी।

(13) शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर स्टाफ को 02 वर्ष प्रोबेशन पर रखा जाएगा।

(14) शिक्षण संस्थान शपथ पत्र के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमन्य शासकीय आर्किटेक्ट / इंजीनियर से हस्ताक्षरित मानचित्र / साइट प्लान 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे और यह स्पष्ट करेंगे कि प्रश्नगत पाठ्यक्रम के लिए किस फ्लोर पर कौन सा कक्ष संस्थान हेतु किस आशय से प्रयोग किया जाएगा और यह कक्ष किसी अन्य पाठ्यक्रम के लिए संयुक्त रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है अथवा नहीं। संस्थान द्वारा प्रदर्शित स्थिति को बिना राज्य सरकार की अनुमति के पूर्व स्थिति के परिवर्तित करने की स्थिति में संबद्धीकरण को निरस्त किया जा सकेगा।

(15) संस्थान को अभ्यर्थी के मूल अभिलेख प्राप्त करने की अनुमति होगी, जिन्हें प्राप्ति के अधिकतम दो दिवस में अभ्यर्थी को वापस करके, सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवगत भी कराना होगा।

सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि निर्धारित समयावधि में यह कार्यवाही पूर्ण की जाए। मूल अभिलेखों को दो दिवस में वापस न करने पर प्रत्येक प्रकरण में संस्थान पर 500 रू0 प्रतिदिन का दण्ड सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जाएगा, जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 के पक्ष में जमा किया जाएगा तथा शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप व्यय किया जा सकेगा।

(16)अभ्यर्थी से 1000 रू0 कासनमनी ली जा सकेगी जो परीक्षाफल घोषित होने के दो दिवस में अभ्यर्थी को वापस करके सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवगत भी कराना होगा। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि निर्धारित समयावधि में यह कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। निर्धारित अवधि में कासनमनी वापस न किये जाने पर 50 रू0 प्रतिदिन का दण्ड सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जाएगा, जो बैंक ड्राफ्ट के रूप में निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 के पक्ष में जमा किया जाएगा तथा शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप व्यय किया जा सकेगा।

(17)फीस को निर्धारित अवधि में न जमा करने पर संस्थान द्वारा अभ्यर्थी से अधिकतम 25 रू0 का विलम्ब शुल्क लिया जा सकेगा।

(18)संस्थानों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित फीस, कासनमनी एवं विलंब शुल्क के अलावा किसी भी अन्य मद में अभ्यर्थियों से कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जा सकेगा।

(19)संस्थान का निरीक्षण समय–समय पर जिला मजिस्ट्रेट के अधीन मजिस्ट्रेटों तथा प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार शासन/निदेशक/संयुक्त शिक्षा निदेशक/सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा भी संस्थानों का निरीक्षण कराया जा सकेगा। निरीक्षण आख्याओं की प्रति शासन/निदेशक/सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाएंगी।

(20)समस्त संस्थान वर्ष में 02 बार सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी एवं निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 को शुल्क प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति से अवगत करायेंगे एवं प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउटेंट द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट भी प्रस्तुत करेगें। सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद का यह दायित्व होगा कि वह प्राप्त अभिलेखों के आधार पर राज्य सरकार को यह आकलन प्रस्तुत करेंगें कि संस्थान लाभ कमाने अथवा व्यवसायीकरण की गतिविधि में लिप्त नहीं हैं।

(21)राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मानकों एवं आदेशों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा।

(22)निजी संस्थानों के संबंध में पूर्व में समय–समय पर जारी आदेश यथावत लागू रहेंगे।

(23)निजी संस्थानों द्वारा शुल्क निर्धारण के संबंध में एन0सी0टी0ई0 की अधिसूचना दिनांक 25.08.2010 में उल्लिखित शर्तों/मानकों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(24)सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा इन आदेशों से समस्त निजी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रबंधकों को अनुपालनार्थ अवगत कराने की कार्यवाही की जाएगी।

भवदीय,

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उ0प्र0।
4. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अशोक कुमार सिंह)
उप सचिव।